(15)

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण

(E mail : socialaudit_raj@yahoo.co n, socialaudit.raj@gmail.com, Tel. 2227033)

क्रमांकः एफ. 61(64)/म.न./ग्रावि./नि.सा.अं./इ.आ.यो./2015–16/2690 जयपुर, दिनांकः 24/11/16

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा),
समस्त।

विषयः– पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर के दौरान सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर जारी कर इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों का भौतिक सत्यापन एवं Geo Tagged फोटो अपलोड करने के क्रम में।

संदर्भः– क्रमांक एफ. 27(63) ग्रावि-5/इं.आ./61(64)/म.न./ग्रावि./नि.सा.अं./इ.आ.यो./2015–16 दिनांक 16.03.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के द्वारा इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण का कार्य राज्य सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु आयोजित किये जा रहे "पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर" के साथ–साथ ही आयोजित किये जावे। इस हेतु जिले में सामाजिक अंकेक्षण कार्य का कलैण्डर जारी कर इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक स्वीकृत आवासों का भौतिक सत्यापन एवं Geo Tagged, time Stamped Photo आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराये जाने का कार्य सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक आपके जिले से संबंधित सामाजिक अंकेक्षण कार्य का कलैण्डर जारी करने से संबंधित सूचना अभी तक अप्राप्त है।

अतः इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक स्वीकृत आवासों का भौतिक सत्यापन एवं Geo Tagged, time Stamped Photo आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराये जाने का कार्य "पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर" के साथ–साथ ही सम्पादित करने हेतु सामाजिक अंकेक्षण कार्य का कलैण्डर जारी कराने की व्यवस्था करावे। सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादन हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. सामाजिक अंकेक्षण हेतु पूर्व में चयनित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों एवं आवास सहायकों/टैग ऑफिर्सस का ग्राम पंचायत में स्वीकृत आवासों की संख्या के आधार पर आवश्यक दलों का गठन। प्रत्येक दल में 01 ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं 01 आवास सहायक/टैग ऑफिसर सदस्य होगें।
2. उक्तानुसार गठित दलों में Geo Tagged time stamped Photo लेकर आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराने हेतु ग्राम पंचायत में स्वीकृत आवासों की संख्या के आधार पर आवश्यक IT कार्मिक जॉब ऑउट सोर्सिंग बेसिस पर लेकर दलों को उपलब्ध कराना। प्रत्येक दल को एक IT (तकनीकी सहायक) कार्मिक उपलब्ध कराया जावें।

3. सर्वाधिक लक्ष्य वाले 8 जिलों में NIC के माध्यम से दो एमआईएस IT (तकनीकी सहायक) कार्मिक एवं शेष जिलों में एक एमआ ईएस IT (तकनीकी सहायक) कार्मिक जिला परिषदों को उपलब्ध कराया जावें।
4. बिन्दु संख्या 1 अनुसार गठिल दलें को जिला स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसमें Geo Tagged time s amped Photo लेकर आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराने का जिला स्तर पर live प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण का कार्य इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना व जिला स्तरीय, प्रभारी अधिकारी एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा सम्पादित करवाया जावेगा।
5. उक्त कार्य का समस्त व्यय योजनान्तर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद की राशि में सामाजिक अंकेक्षण मद की प्रावधित राशि से किया जावेगा।
6. सर्वाधिक लक्ष्य वाले जिलों की पंचायत समिति जिनमें कुल 5000 से अधिक आवास स्वीकृत है, एक IT/MIS कार्मिक पर्यवेक्षण एवं तकनीकी सहायता हेतु उपलब्ध कराया जावें।

24.11.16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांकः एफ. 61(64)/म.न./ग्रावि./नि.सा.अं/इ.आ.यो./2015-16/2690 जयपुर, दिनांकः 24/11/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1 सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान-जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान-जयपुर।
4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5 निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
6 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
7 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि विभाग अनुभाग -5 को प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू) को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
9 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रा वि प्र) समस्त।

(मीता शर्मा)
निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण